जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर

185/15

A3/1

अपील सूचना का अधिकार संख्या 185/2015 श्री कृष्णलाल पुत्र श्री काशीराम निवासी श्यामनगर वार्ड न0 7 पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर बनाम तहसीलदार, श्रीगंगानगर

20–01–2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री कृष्णलाल को रूक रूक कर आवाज लगवाई गई किन्तु वे उपस्थित नही आए। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री कृष्णलाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रा0 पत्र दिनांक 14.11.2015 के द्वारा तहसीलदार, श्रीगंगानगर से निम्न सूचनाएं चाही थीः–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

> (1) ग्राम चक 2एफ, 3एफ, 4एफ में नेशनल हेबीटेसन सर्वे 2001 व 2003 में चयनित ढाणीया किस नाम से है व उनके क्रमांक संख्या कितनी है।
> (2) श्री राजपाल, जगदीश, रामजस, बृजलाल वगैरा की ढाणीया कौन से ग्राम की राजस्व भूमि स्थित है व नेशनल हैबीटेसन सर्वे 2001 व 2003 के अनुसार किस नाम से चयनित है व उनका क्रमांक कितना है।
> (3) राजस्व रिकार्ड के अनुसार मु0न0 28 व किला न0 13 ढाणी किस नाम चयनित है ढाणी कच्ची है या पक्की।
> (4) प्रथम अपील अधिकारी का नाम व पता उपलब्ध करावें।

अपीलार्थी श्री कृष्ण लाल द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि उसके द्वारा चाही गई उक्त बिन्दू सं0 1 से 4 तक की सूचना तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाने का आदेश दिया जावे।

अपीलार्थी के अपीलपत्र के संबंध में तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा प्रतिवेदन संख्या 05 दिनांक 06.01.2016 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थी कृष्णलाल को पत्र सं0 रीडर/2015/04 दिनांक 05.01.2016 द्वारा नियमानुसार जो उनके कार्यालय में उपलब्ध थी वह उपलब्ध करवा दी गई है। बिन्दु सं0 1 व 2 की सूचना के संबंध में राज्य सरकार के किसी भी विभाग के दिशा निर्देश के तहत उनके उनके कार्यालय से कोई सर्वे नही करवाया गया है। जब सर्वे नही किया गया है तो ऐसी स्थिति में ढाणियां चयनित सूचना/ढाणीयों के क्रमांक का प्रशन नही होता।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी को उसके सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र के संबंध में पत्र सं0 596 दिनांक 11.12.2015 के द्वारा वांछित चारो बिन्दुओ की सूचना प्रश्नात्मक मानकर अपीलार्थी का प्रा0 पत्र खारिज कर दिया। अपीलार्थी द्वारा अपील किये जाने पर प्रतिवेदन चाहे जाने पर तहसीलदार, श्रीगंगानगर ने पत्र संख्या रीडर/15/04 दिनांक 206.01.2016 से अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचित किया गया हैः–

कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर
185/15
A3/2

आप द्वारा सूचना के अधिकार के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 14.11.2015 के सन्दर्भ में आपसे दिनांक 06.01.2016 को दुरभाष पर हुई वार्तानुसार गांव 2 एफ छोटी, 3एफ छोटी, 4एफ छोटी से संबंधित चाही गई सूचना बिन्दुवाइज निम्न प्रकार है:–

1– बिन्दु संख्या एक की सूचना में राज्य सरकार के किसी भी विभाग के दिशा निर्देश के तहत इस कार्यालय से कोई सर्वे नही करवाया गया है। जब सर्वे नही किया गया तो ऐसी स्थिति में ढाणीयां चयनित सूचना का प्रशन नही होता है।

2– बिन्दू संख्या की सूचना में उक्त चको के मु0न0 28 के किला न0 13 में राजपाल, जगदीश, रामजस, बृजलाल आदि के नाम से कोई ढाणी राजस्व रिकार्ड के अनुसार नही है, सर्वे की सूचना बिन्दु संख्या एक के अनुसार है।

3– बिन्दू संख्या की सूचना में उक्त चको की राजस्व रिकार्ड जमाबंदी की प्रमाणित प्रति सलंग्न कर प्रेषित है।

4– बिन्दू संख्या 4 की सूचना अनुसार प्रथम अपील अधिकारी श्रीमान जिला कलक्टर, कलक्ट्रेट परिसर, श्रीगंगानगर है।

अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दु सं0 1 से 4 की सूचना में से बिन्दु सं0 3 की सूचना राजस्व अभिलेख जमाबंदी की थी जो उसे भिजवाई जा चुकी है बिन्दु सं0 4 में अपील अधिकारी से संबंधित सूचना थी जो भी उसे उपलब्ध करवाई जा चुकी है। बिन्दू सं0 1 व 2 की सूचना प्रश्नात्मक थी जिसका भी उत्तर दिया जा चुका है जो विलम्ब से दिया गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो अभिलेखो में जिस रूप में उपलब्ध हो। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है और चाही गई सूचना प्रश्नात्मक नही होनी चाहिए। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उत्तर सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, श्रीगंगानगर को हिदायत की जाती है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त प्रा0 पत्रों पर गम्भीरता से विचार किया जाकर निर्धारित अवधि में निस्तारण किया जाना चाहिए। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.01.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी.सी.किशन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर